प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –305 / 2023

अनवान : –

1. धर्मपाल मेघवाल पुत्र लिछमन जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. प्रहलाद पुत्र लक्ष्मण जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. लिछमण पुत्र लूणाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. कृष्णा पुत्री लूणाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. संदीप कुमार पुत्र सीमा पुत्री लिछमण जाति मेघवाल निवासी रतनुपरा तहसील नोहर।
4. सुखदेव पुत्र सीमा पुत्री लिछमण जाति मेघवाल निवासी रतनुपरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 15.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 133 / 133 की कुल 1.4340 है0 भूमि व रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 99 / 98 कि कुल 1.5180 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई इसलिए उपरोक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादीगण की बुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 जो कि वादीगण की मृतक बुआ के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाई / पिता / मामा / नाना के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त दोनो खातों की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का [illegible] फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:44 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीया स0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 133/133 की कुल 1.4340 है0 भूमि व रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 99/98 कि कुल 1.5180 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण एवं सरपंच द्वारा सदस्य की तस्दीक तथा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा लिछमण के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया स0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 133/133 की कुल 1.4340 है0 भूमि व रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 99/98 कि कुल 1.5180 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:44 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–गुडिया

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –305/2023

अनवान : –

1. धर्मपाल मेघवाल पुत्र लिछमन जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. प्रहलाद पुत्र लक्ष्मण जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. लिछमण पुत्र लूणाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. कृष्णा पुत्री लूणाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. संदीप कुमार पुत्र सीमा पुत्री लिछमण जाति मेघवाल निवासी रतनुपरा तहसील नोहर।
4. सुखदेव पुत्र सीमा पुत्री लिछमण जाति मेघवाल निवासी रतनुपरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 305 सन 2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 133/133 की कुल 1.4340 है0 भूमि व रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 99/98 की कुल 1.5180 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे प्रतिवादी स0 1 के साथ वादीगण को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.12.23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–गुडिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:44 IST
Reason: SelfAttested